(1200/NK/AK)

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री जिया उर रहमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय सभापति : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, प्लीज आप लोग बैठिए, सदन का महत्वपूर्ण समय है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2, श्री प्रतापराव जाधव जी।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : महोदय, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 70 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ 4238(अ) जो 26 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my colleague Shri Shantanu Thakur**,** I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Goa, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Authority, Goa, for the year 2023-2024.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Goa, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mormugao Port Authority, Goa, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2023-2024.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Cochin Port Authority, Kochi, for the year 2023-2024.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) :-

(i) Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(ii) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited and Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(iii) Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(iv) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(v) Memorandum of Understanding between Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2024-2025.

(vi) Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(vii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Maritime Foundation, Bengaluru, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Maritime Foundation, Bengaluru, for the year 2022-2023.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the years 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bengaluru, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bengaluru, for the year 2022-2023.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Yantra India Limited, Nagpur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Yantra India Limited, Nagpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Gliders India Limited, Kanpur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Gliders India Limited, Kanpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Armoured Vehicles Nigam Limited, Chennai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Armoured Vehicles Nigam Limited, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Troop Comforts Limited, Kanpur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Troop Comforts Limited, Kanpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the India Optel Limited, Dehradun, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the India Optel Limited, Dehradun, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Munitions India Limited, Pune, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Munitions India Limited, Pune, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronics Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat Electronics Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2023-2024.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering & Winter Sports, Pahalgam, Jammu and Kashmir, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering & Winter Sports, Pahalgam, Jammu and Kashmir, for the year 2023-2024.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 138TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 138th Report of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Medical Devices: Regulation & Control pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.

… (*Interruptions*)

BUSINESS OF THE HOUSE

1202 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 2nd of December, 2024 will consist of:

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains: - Consideration and passing of the following Bills: - (i) The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024; and (ii) The Railways (Amendment) Bill, 2024.]

2. Consideration and passing of the following Bills:-

(i) The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024;

(ii) The Carriage of Goods by Sea Bill, 2024; and

(iii) The Bills of Lading Bill, 2024.

3. Discussion and voting on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2024-2025 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill, after presentation.

… (*Interruptions*)

ELECTIONS TO COMMITTEES
(i) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Raipur, Jodhpur and Vijaypur

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I rise to move the following: -

> "That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 read with Section 6 of the AIIMS (Amendment) Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to each of the three All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Raipur, Jodhpur and Vijaypur subject to the other provisions of the said Act."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर, जोधपुर और विजयपुर के लिए अपने में से, प्रत्येक के लिए, दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

(1205/SK/UB)

(ii) National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (NIMHANS), Bangalore

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to move the following:

"That in pursuance of clause (l) of sub-section (1) of Section 5 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (NIMHANS), Bangalore Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (NIMHANS), Bangalore subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकिया): प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान (निमहन्स), बैंगलोर अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ठ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान (निमहन्स), बैंगलोर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(iii) National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to move the following:

"That in pursuance of clause (c) of sub-section (2) of Section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, subject to the other provisions of the said Act."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(iv) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) अधिनियम, 2020 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) अधिनियम, 2020 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

MOTION RE: FOURTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move the following:

"That this House do agree with the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 28th November, 2024."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 28 नवम्बर, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1209 बजे

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Augmentation of railway services connecting Bhilwara Parliamentary Constituency

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि कोरोना से पूर्व अजमेर-बांद्रा ट्रेन संचालित होती थी गाड़ी स. 12995/96 एव 22901/02 जो अल्टरनेट दिन अजमेर से तथा उदयपुर से चित्तोड़ कनेक्ट होकर एक ट्रेन बनती थी, जो विगत 5 वर्ष से अजमेर से संचलित नहीं होकर केवल उदयपुर से ही संचालित हो रही है, जबकि भीलवाड़ा से भी पूर्वानुसार 6 दिन होना आवश्यक है, साथ ही भीलवाड़ा से वैकल्पिक ट्रेन मुंबई के लिए होना ज़रूरी है, इसके अलावा इस रूट पर यात्रियों का अधिक आवागमन होने के कारण मुंबई के लिए अजमेर से भीलवाड़ा-रतलाम होते हुए अन्य ट्रेन डायवर्ट की जाए। भीलवाड़ा से दिल्ली के लिए वर्तमान में एक ट्रेन चेतक एक्सप्रेस है, जबकि मीटर गैज के समय भी भीलवाड़ा - दिल्ली की 2 ट्रेन चेतक एवं पिंक सिटी /ग़रीब नवाज़ थी इसलिए उदयपुर वाया भीलवाड़ा दिल्ली की नई ट्रेन प्रारंभ होना नितांत आवश्यक है।

(इति)

Re: Need to expedite doubling of Gondia-Balaghat-Nainpur-Jabalpur railway section

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान गोंदिया-बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। लगभग 239 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली जीवनरेखा है। इसके दोहरीकरण से यात्रा दूरी लगभग 250 किलोमीटर तक कम होगी, जिससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह रेल मार्ग क्षेत्रीय जनता के लिए यातायात का महत्वपूर्ण साधन और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की रीढ़ है। वर्तमान में डी.पी.आर. तैयार करने में हो रहे विलंब से परियोजना बाधित हो रही है। मेरा आग्रह है कि इसे शीघ्र पूरा कर बालाघाट-गोंदिया खंड को प्राथमिकता देते हुए कार्य प्रारंभ किया जाए। इससे यातायात का दबाव कम होगा, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, और क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

(इति)

Re: Need to convert Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi as umbrella schemes and extend the schemes to other agricultural activities

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Two initiatives that have significantly transformed the lives of farmers are the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Since the inception of the PM Fasal Bima Yojana in 2016-17, over 5549.40 lakh farmer applications have been insured, resulting in claims amounting to Rs 150589.10 crore. Similarly, under the PM KISAN scheme, a total of Rs. 2.81 lakh crore has been disbursed through Direct Benefit Transfer (DBT) to more than 11 crore beneficiaries (farmers) in various installments. It is now imperative to extend these two schemes to encompass other categories of farmers, such as those involved in dairy, sericulture, aquaculture, and more. Farmers in these sectors experience similar challenges and face significant risks of income loss, akin to traditional agrarian farmers. By transforming these major schemes into umbrella scheme, tailored modifications can be implemented by the relevant departments to cater to silk worm farmers, livestock farmers, pisciculture and others. I urge the Government of India to consider converting these two schemes as umbrella schemes, develop sub-scheme guidelines, and extend these schemes to other agricultural activities such as silk worm farming, livestock farming, fish farming and others as well.

(ends)

Re: Acquisition of ancestral land of people for construction of roads in Dadra and Nagar Haveli

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र दादरा-नगर-हवेली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़को के निर्माण कार्य को बढ़ाने, उसके रखरखाव, मरम्मत, सड़को के विस्तारीकरण के लिए राज्य शासन द्वारा स्थानीय किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों की पुरखों की जमीनों को बिना किसी कारण के बिना कोई नोटिस दिए उनकी हक की पुरखों की जमीनों को लेकर सड़कों का कार्य किया जा रहा है, जो निंदनीय है । मेरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से आदिवासी परिवारों का जीवन उनकी स्थानीय खेती पर निर्भर है। ऐसे में राज्य शासन द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य के लिए उन परिवारों को बिना कोई सूचना-नोटिस दिए उनसे उनकी पुरखों की जमीनें छीनी जा रही हैं और सड़कों का काम किया जा रहा है। उनकी जमीनों का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन-परिवारों का काफी नुकसान हो रहा है। मैं सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सड़को के निर्माण कार्य, विस्तारीकरण के लिए राज्य शासन द्वारा स्थानीय किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों की पुरखों की जमीनों को बिना उनके अनुमति के न लिया जाए और राज्य शासन द्वारा जो जमीनें ली गई हैं उसका मुआवजा उन परिवारों को तुरंत दिया जाय।

(इति)

Re: Inclusion of certain villages in Rajasthan under Eastern Rajasthan Canal Project and provide compensation to the residents affected by this project

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I draw attention to the Eastern Rajasthan Canal Project, which involves increasing the capacity of the Mahalpur and Ramgarh Barrages, with 4500 hectares of land acquired from 35 villages in Baran district. While the water from this project is intended to benefit 28 districts in Rajasthan and Madhya Pradesh, several areas in Kishanganj, including Nahargarh, Kelwara, Samraniya, and Shahbad, are not covered for either drinking or irrigation water under this scheme.

I request the Government to include these villages in the ERCP coverage to ensure that they receive the benefits of this critical water supply. Additionally, I urge the Government to address the rehabilitation of displaced families, particularly those in the proposed submerged areas, and provide them with alternative lands. Compensation should also be given to families residing in the Chak and forest areas affected by the project. I request urgent attention to these matters to ensure fair and equitable implementation of the project. (ends)

Re: Shortage of DAP in Domariyaganj Parliamentary Constituency

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थ नगर में धन सहकारी समिति, घोसियारी में मांग के सापेक्ष कम डीएपी खाद पहुंचने से किसान परेशान हैं। समिति पर अबतक 600 बोरी डीएपी, 50 गांवों के किसानों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। मजबूरन किसान प्राइवेट दुकानदारों से अधिक रेट में डीएपी खरीदने को बाध्य हो रहे हैं। प्राइवेट दुकानदार डीएपी के साथ एक पैकेट गेहूं का बीज देने की शर्त लगा रहे हैं, जिसके चलते किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। खेसरहा ब्लॉक के साधन सहकारी समिति, घोसियारी पर रबी की बुवाई के समय किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। खेत से नमी न चली जाए और बुवाई पिछड़े न इसके लिए किसान प्राइवेट दुकानदारों की मनमानी के आगे मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार, प्राइवेट दुकानों से किसानों को 1500 से 1600 रुपए प्रति बोरी डीएपी मिल रही है। तीन दिन से समिति का चक्कर लगा रहे हैं, तब जाकर किसी तरह से दो बोरी डीएपी मिली है। प्राइवेट दुकानदार महंगे दाम पर डीएपी बेच रहे हैं। समिति पर खाद नदारद है, मजबूरी में प्राइवेट दुकानदारों से महंगे दाम पर खाद लेना पड़ रहा है।अबतक समिति पर 600 बोरी डीएपी आई, जिसे किसानों को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करा दिया गया है। (इति)

Re: Air pollution in Delhi

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : देश की राजधानी दिल्ली पिछले काफी समय से अपने खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर के लिए दुनियाभर मे बदनाम हो रही है। वर्तमान समय मे भी दिल्ली खतरनाक प्रदूषण के स्तर पर पहुँच गई है और यहाँ का एक्यूआई लेवल 400 से 500 के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिस कारण यहाँ के लोगों को एक बार फिर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इस समय की सबसे गंभीर समस्या बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली व एनसीआर के स्कूल और कॉलेजों को बंद करना इस विषय की गंभीरता को और उजागर करता है। सीएसई द्वारा साझा किए गए नए अध्ययन में कहा गया है कि स्थानीय स्रोत दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं, जिसमें सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, हरियाणा और पंजाब मे पराली जलाना भी इसका एक कारण है। दिल्ली समेत देश के अन्य मेट्रो शहर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर के बहुत से शहर भी वायु प्रदूषण के संकट से गुजर रहे है और आने वाले समय में यहाँ की स्थिति भी भयावह होने की संभावना है। (इति)

Re: Need to construct a wall along coastal area of Palghar district in Maharashtra to prevent soil erosion

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : पालघर, महाराष्ट्र का तटीय जिला है जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में सह्याद्रि पर्वत से घिरा हुआ है। हाल के दशकों में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर तटीय कटाव तेज़ी से हुआ है। इसमें पालघर ज़िले के समुद्री तट भी शामिल है। समुद्र से लगे इन क्षेत्रों में समुद्री लहरे तेज़ी से बाहर मिट्टी तक आती है और अपनी लहरो के साथ मिट्टी का कटाव करते हुए समुद्र में ले जाती है। समय समय पर बड़े और अधिक विनाशकारी तूफानी लहरो के कारण और अधिक तीव्रता से मिट्टी का कटाव होने की संभावना रहती है। मिट्टी के कटाव और समुद्री जल के मिट्टी में प्रवेश को रोकने के लिए क्रीक बांध और समुद्री दीवार बनाने की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र की मिट्टी को समुद्री लहरों से बचाया जा सके और तटीय कटाव को रोका जा सके। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि पालघर जिले में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए समुद्री दीवार बनाने के लिए सम्बंधित विभागों से अनुमति जारी करते हुए समुद्री दीवार बनाने के लिए फंड जारी करने की कृपा करे।

(इति)

Re: Need to include Valmiki or Boya community of Telangana in the list of Scheduled Tribes

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice regarding the need to include Valmiki or Boya Community in the Scheduled Tribes list in the State of Telangana. The demand for ST status for Valmiki or Boya community who are presently in BC category is pending since more than 60 years, having population of about 5 lakh with a stronghold in the districts of Mahabubnagar, Wanaparthy, Nagarkurnool, Narayanapeta, and Hyderabad. Taking into consideration of their socio-economic conditions and decisions on recommendations made by the Chellappa Committee, the Telangana Legislative Assembly has also accepted the recommendations of the National ST Commission and passed a unanimous resolution twice to include them in the ST list and sent the proposal to Union Government. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment to kindly intervene in the matter and do the needful.

(ends)

Re: Need to construct Airport in Hazaribagh, Jharkhand

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : मैं माननीय नागरिक विमानन मंत्री जी का ध्यान हमारे लोकसभा हजारीबाग में प्रस्तावित हवाई अड्डे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा नगवा हवाई अड्डे के निर्माण हेतु राशि भी स्वीकृत की गई थी जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2024 में पूर्ण हो जाना था, परंतु इस विषय पर कोई भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी हैं, इसमें कमी शायद राज्य सरकार की रही हो। वर्तमान में हवाई आवागमन हेतु लोंगो को रांची, देवघर एयरपोर्ट जैसे सुदूर जगहों पर जाना पड़ता हैं। हवाई अड्डे के न होने से क्षेत्र के विकास में कहीं न कहीं कमी हुई है और क्षेत्र का अन्य जगहों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। पढाई, रोजगार, खेल, व्यापार तथा स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हजारीबाग में हवाई अड्डे के निर्माण से झारखण्ड के अनेकों क्षेत्रों के छात्र – छात्राओं की पढ़ाई, व्यापार के साथ–साथ लाखों लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा व आर्थिक प्रगति को आयाम के पंख लगेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हजारीबाग हवाई अड्डे का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की कृपा करे।

(इति)

Re: Illegal encroachments on the floodplains of Ramzan River in Kishanganj Parliamentary Constituency

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I would like to bring to the notice of this House, the ongoing issue of illegal encroachments upon the Ramzan river in my Kishanganj constituency. The Ramzan river is the biggest source of water for the town of Kishanganj and therefore of utmost importance to the lives and livelihood of thousands of people. Illegal encroachments upon the floodplain of the river are disrupting the natural pattern of the river and obstructing its flow. Not only are these encroachments environmentally harmful because they forcefully alter the natural geography of the floodplain but these encroachments also pose a threat to the lives and property on the river bank. They increase the likelihood of overflow and flooding, especially during heavy monsoons. The river must be completely freed from all such encroachments for the safety of my constituents as well as the environment. I would also like to put forth that beyond the removal of illegal encroachments, the area should be properly measured and demarcated so that the floodplain can be clearly identified as a zone of protection. This will prevent other encroachments from cropping up in the future and ensure health of the river ecosystem.

(ends)

Re: Need to expedite reconstruction works of Sion Bridge in Mumbai

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मुंबई में 110 साल पुराना सायन पुल, जो धारावी, बांद्रा और एलबीएस रोड को सायन के पूर्वी हिस्से से जोड़ता है, ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 1 अगस्त 2024 से बंद कर दिया गया है। इस कार्य का संचालन केंद्रीय रेलवे और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के समन्वय से किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 51 करोड़ रुपये है। यह नया पुल 31 जुलाई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। पुल के बंद होने से मुंबई में यातायात संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर यातायात जाम की स्थिति बनी है। पुल के आसपास के क्षेत्रों में 3-4 स्कूल स्थित हैं, जिससे विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनका समय व्यर्थ हो रहा है। धारावी और सायन के आसपास की सड़कों पर नो-पार्किंग ज़ोन लागू होने से स्थानीय निवासियों और यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह पुल मुंबई के यातायात नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बंद होने से धारावी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र के नागरिकों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस पुनर्निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए इसे निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा किया जाए।

(इति)

Re: Need to provide financial assistance for rehabilitation works in landslide affected areas of Wayanad, Kerala

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): On July 30, 2024, the landslides that severely affected the areas like, Mundakai and Churalmala in Wayanad Meppadi Panchayat fall under the category of Calamity of Severe Nature - Level III as per the norms prescribed by the National Disaster Management Act. The biggest disaster was recorded in the series of landslides reported so far in the country. Regarding this on 06.08.2024 Hon Prime Minister has visited the area and was convinced about the situation. However, this disaster has not been declared as an extreme disaster. In addition to the non-availability of additional financial assistance, relief measures under Section 13 of the Disaster Relief Act are also not available for the loans taken by the disaster victims. A post-disaster needs assessment has been conducted in this regard and a detailed report has been submitted to the Central Government on 13.11.2024. An amount of Rs. 2221 crore for Meppadi and Rs. 98.10 crore for Vilangad has been estimated for recovery & reconstruction purpose. It is requested to provide financial assistance for the necessary rehabilitation works in the Landslide areas. (ends)

Re: Need to develop Dhule Airport into a full-fledged airport and start commercial and cargo flight services

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : धुले जिला कपड़ा, खाद्य-तेल और विरासत पर्यटन के सबसे तेजी से बढ़ते केंद्रों में से एक है। किंतु , यह लंबे समय से हवाई संपर्क की कमी से बाधित है। आज धुले दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश नोड्स और राज्य सरकार के तहत टेक्सटाइल पार्कों का केंद्र है। बढ़ते उद्योगों का समर्थन करने के लिए, वाणिज्यिक यात्री और कार्गो उड़ानों को संचालित करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में, धुले हवाई अड्डा एक मामूली हवाई पट्टी है जो केवल गैर-अनुसूचित उड़ानों के साथ घरेलू हवाई अड्डे के रूप में कार्य करती है। हवाई अड्डे को पूरी तरह से चालू करने की तत्काल आवश्यकता है। एक पूर्ण रूप से संचालित हवाई अड्डा न केवल धुले में उद्योग को समर्थन देगा, बल्कि आस-पास के शहरों से यात्रियों के लिए भी काम करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सरकार ने दावा किया है कि वह 2047 तक हवाई अड्डों की संख्या दोगुना करेगी। मैं सरकार से अपने दावे को पूरा करने का आग्रह करती हूं। मैं मांग करती हूं कि सरकार उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना के तहत धुले हवाई अड्डे का विकास करे और धुले हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री और कार्गो उड़ानें शुरू करे।

(इति)

Re: Need to provide adequate irrigation facilities in Banaskantha Parliamentary Constituency

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा की ओर दिलाना चाहती हूँ, जहां पर किसानों को सिचाई के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बनासकांठा जिला कृषि और पशुपालन के लिए समर्पित जिला है। इस जिले के अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि, बनासकांठा जिले में भूजल स्तर गहरा होने के कारण यहां के किसान कुछ समय से चिंतित हैं वहीं इस जिले के पूर्वी-क्षेत्र की बात करें तो इसमें न तो कोई बांध की सुविधा है और न ही कोई नहर क्षेत्र। पूर्वी-क्षेत्र में पानी की समस्या अधिक है इस क्षेत्र के लोग वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं, तथा पिछले कुछ समय से भूजल गहराई में जाने के कारण यहां के किसान ग्रीष्मकालीन खेती नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि सर्दी और मानसून की खेती पर निर्भर हैं। यदि मानसून में अच्छी बारिश होती है तो कुछ फसलें हो पाती हैं वरना यहाँ के किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि यहाँ के किसानों की समस्या को ध्यान मे रखकर सिचाई की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। (इति)

Re: Renovation of dam on Shenbagavalli River situated in Tamil Nadu – Kerala border

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): The Shenbagavalli dam is situated in the Tamil Nadu - Kerala border which was constructed on the Shenbagavalli River after an agreement between Sivagiri and Tiruvangur Samasthan in the year 1773. The river flowing from the dam – Nitchebha river – nourished over 12,000 acres from Sivagiri to Tiruvenkatam before entering Vaippar. Till 1962, the Tamil Nadu Public Works Department maintained the dam and the channel. When Shenbagavalli dam region experienced floods in 1965 to 1967, about nine meters of the 1,480-metre-long channel were damaged. Since the Shenbagavalli Dam is situated in Tamil Nadu - Kerala border, the Kerala Government is not showing interest to renovate the Shenbagavalli dam after repeated requests. The water from the damaged dam is not being used anywhere and it directly flows into the Arabian sea. Hence, the restoration of Shenbagavalli Dam will not affect the Kerala’s rights and will definitely benefit the farmers in the southern districts of Tamil Nadu, particularly farmers in my Tenkasi Constituency. It will also help in fulfilling drinking water demands in many districts. I urge the Union Government to take necessary steps to restore the Shenbagavalli Dam at the earliest. (ends)

Re: Need to convert Saharsa RMS in Bihar into ICH

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : बिहार राज्य के सहरसा रेल डाक सेवा पंजीकृत एवं साधारण पत्रों के छँटाई का एक मात्र कार्यालय है। यह रेल डाक सेवा लगभग 300 KM के परिधि के तीनों जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तथा 25% खगड़िया जिला जो 50% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, एवं 25% पूर्णियां जिलावासियों को सेवा प्रदान करता है। सहरसा रेल डाक सेवा अभी औसतन 3000 से 3500 पंजीकृत एवं 20000 से 25000 साधारण पत्रों का निष्पादन करता है एवं इन तीनों जिला का लगभग 6000 से 6500 SPEED POST छँटाई हेतु NSH बरौनी को भेजा जाता है इसके अतिरिक्त लगभग 10000 SPEED POST एवं PARCEL तीनों जिला सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में वितरित होने के लिए बरौनी से भेजा जाता है जिस कारण SPEED POST का निष्पादन चार दिनों के बाद ही विलम्ब से हो पाता है जिससे तीनों जिलावासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सहरसा डाक प्रमंडल में 02 प्रधान डाकघर एवं 42 उप डाकघर के डाक का निष्पादन सहरसा रेल डाक सेवा से होता है, जिसमे कुल 509 शाखा डाकघर है जिसका 50% शाखा डाकघर एवं उप डाकघर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। सहरसा परिचालन सुविधा, भोगौलिक स्थिति कनेक्टिविटी लाभ आदि के सभी मानको को पूरा करता है। सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा एक Aspirational District है। यहाँ हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि तीनों जिला को प्रगति पथ पर लाया जाय। सहरसा RMS बंद होने से सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा फिर से एक पिछड़ा जिला रह जायेगा।

अतः सहरसा RMS को बन्द नहीं कर उसे ICH बनाया जाय जो सभी मापदंड पूरा करता है। (इति)

Re: Increasing human-leopard conflict in Dindori Parliamentary Constituency

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे (दिन्डोरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र, दिंडोरी, महाराष्ट्र में तेंदुओं द्वारा मनुष्यों पर बढ़ते हमलों के संबंध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह क्षेत्र, जो जंगलों के निकट स्थित होने के लिए जाना जाता है, हाल ही में मानव-तेंदुआ संघर्ष की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देख रहा है, जिससे लोगों की जान-माल का नुकसान हो रहा है और निवासियों के बीच असुरक्षा एवं चिंता का माहौल उत्पन्न हो गया है। इस क्षेत्र में तेंदुओं की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय समुदायों और इन जानवरों के बीच मुठभेड़ों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, आवासीय क्षेत्रों में अतिक्रमण और शिकार की कमी के कारण तेंदुए अक्सर मानव बस्तियों में घुस रहे हैं, जिससे मानव जीवन और पशुधन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र में मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की जाए, जिसमें तेंदुओं की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम, बेहतर निगरानी और प्रबंधन, तेंदुओं का स्थानांतरण और पुनर्वास जैसे उपाय शामिल किए जाएं। (इति)

Re: Conservation of Jogeshwari Caves and Andheri Caves in Mumbai North-West Parliamentary Constituency

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मेरे संसदीय क्षेत्र मुंबई उत्तर-पश्चिम के जोगेश्वरी में प्राचीन पांडव कालीन जोगेश्वरी गुफा और अंधेरी गुफा लम्बे समय से जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ी है। इन दोनों गुफाओं को देखने के लिए महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि देश-विदेश से लाखो पर्यटक मुंबई आते है। लेकिन पिछले कई सालों से दोनों ही प्राचीन गुफाओं का देखभाल और रखरखाव नहीं किया जा रहा है! धीरे-धीरे ये दोनों गुफा जर्जर और बदहाल होती जा रहीं है। महोदय उक्त दोनों गुफाओं के आसपास हजारों की संख्या में झुग्गी-झोपड़ियो की तादाद बढ़ रहीं है। इन सभी लोगों को गुफाओं के आसपास अच्छे और पक्के मकान देकर उनका पुनर्विकास करने की आवश्यकता है साथ हीं इन दोनों गुफाओं के आसपास जयंत चाल, ब्राह्मण पुष्पकर्ण चाल और ऐसी कई बडी चालो का पुनर्विकास का काम भी लंबित पड़ा है जिनका कार्य भी होना अत्यंत आवश्यक है। तभी उक्त दोनों गुफाओं का रखरखाव, संवर्धन अच्छे से हो सकेगा। अतः मै संस्कृति मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे उक्त दोनों गुफाओं का रखरखाव और संवर्धन करनें और गुफाओं के आसपास की झुग्गी-झोपडीयों के परिवार को अच्छे और पक्के मकान देकर उनका पुनर्वासन करने हेतु संबधित को निर्देशित करेंगे।

(इति)

Re: Need to regularize the services of employees working on temporary basis

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : अपने संसदीय क्षेत्र दमण एवं दीव सहित पूरे देश में अनेक युवा स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकनिर्माण, स्वराज्य संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं, सहित विविध सरकारी विभागों मे अस्थायी कर्मचारी के रुप मे अनेक वर्षों से स्थाई कर्मचारीयों के साथ बराबर की सेवा दे रहे हैं। अस्थायी कर्मचारीयों की कार्य करने की दक्षता और क्षमता स्थायी कर्मचारीयों के समान ही होती है तथा ऐसे कर्मचारी सीधे जनता की सेवा करते है। फिर भी इन अस्थायी कर्मचारीयों को स्थायी कर्मचारीयों की तुलना मे बहुत कम वेतन मिलता है। वेतन कम मिलने के कारण अस्थायी कर्मचारीयो को अपने परिवार तथा बच्चों को अच्छी पढ़ाई सहित कई सुविधाए देने मे काफी मुश्किलो का सामाना करना पडता है। वंही स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी का कार्य एक समान हो तो फिर उन अस्थायी कर्मचारीयों को मिलने वाले वेतन लाभ मे भेदभाव क्यो? उनको वर्षो वर्ष काम कराने के बावजूद उनके हक और अधिकार से वंचित क्यो रखा जा रहा है? उनको स्थायी क्यो नही किया जाता है? मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र सहित पूरे भारत मे जो लोग देश के सरकारी क्षेत्र में अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित (स्थायी) कर उनको उनका अधिकार देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Extension of proposed metro rail corridor between Secunderabad and Medchal in Telangana

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): Shamirpet is being progressed as a suburban city to share the burden of the State Capital for people to construct their dwellings. Commutation from Shamirpet to Hyderabad/Secunderabad is a nightmare to the people to travel by road. There is no MMTS running between. Secunderabad and Shamirpet, which is forcing people to depend only on roadways. Shamirpet is also District Headquarter of Medchal Malkajgiri District.

This PC is situated towards Northern side of Hyderabad. Two main highways are connected to commute the people from outskirts to the State Capital. These two national highways are thickly dense with heavy vehicular traffic and these two NHs are subjected to their expansion to meet the demands of the existing vehicular traffic as well as the future projections. Around 50 to 60% of the State population enters into these two main highways to Capital city.

Another important suburban on northern side of Hyderabad is Medchal. There is a national highway connecting Medchal to Hyderabad/Secunderabad, which goes upto Adilabad District. There are no proper commutation facilities between Medchal connecting to State Capital except one NH.

At present, the existing metro rail corridor terminates at Jubilee Bus Station (JBS) After this point, the national highway passes through to suburban areas like Shamirpet, which goes upto Karimnagar on one side and Medchal on the other side. There is a proposal approved for elevated corridor being constructed between Secunderabad and Medchal on National Highway.

I would request the Union Government to consider the proposal for elevated corridor on Secunderabad to Shamirpet route also on the lines of Secunderabad to Medchal, to extend the existing Metro line from Paradise to Medchal along the side of proposed elevated corridor, and to extend the existing Metro line from JBS to Shamirpet along with new elevated corridor, which will drastically reduce the cost of metro project and benefit the general public.

(ends)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठिए और सदन को चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके हर विषय पर सदन में चर्चा की जाएगी और आपकी बात सुनी जाएगी। आपको पूरा मौका मिलेगा इसलिए प्लीज़ आप अपनी सीट पर बैठिए। आप सदन को चलने दीजिए

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह सदन का महत्वपूर्ण समय है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: पूरा देश देख रहा है, आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सदन में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: देश जानता है और देश चाहता है कि आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप सब लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह देश देख रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

(1210/SJN/SRG)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : यह देश देख रहा है कि आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। यह उचित नहीं है। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मज़बूत करना है, तो आप अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए, सदन को चलाइए। ऐसा नहीं होता है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1210 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 दिसंबर 2024 / 11 अग्रहायण 1946 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।